उत्तर प्रदेश शासन
नियोजन अनुभाग-2
संख्या: 10/2018/558/पैतीस-2-2018-3/39(9)/2018
लखनऊ: दिनांक: 31 मई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

परती भूमि विकास अनुभाग के पत्र संख्या: 398/85-2010-03(01)/2010, दिनांक 14.05.2010 द्वारा श्री नवीन चतुर्वेदी, अर्थ एवं संख्याधिकारी की उ0प्र0 भूमि सुधार निगम में वरिष्ठ प्रबन्धक (मानीटरिंग, इवैलयूऐशन एण्ड लर्निंग) के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनाती की गई थी, जिसके क्रम में नियोजन अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1460/पैतीस-2-2010-3/2(34)/2009, दिनांक 29.06.2010 द्वारा श्री नवीन चतुर्वेदी को कार्यमुक्त किया गया था। तब से श्री चतुर्वेदी भूमि सुधार निगम में प्रतिनियुक्ति के आधार पर वरिष्ठ प्रबन्धक के पद पर कार्यरत है। कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-1/1/95-का-4-2003, दिनांक 26.05.2003 में सरकारी सेवकों को प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण पर कार्यरत रहने की अधिकतम अवधि 05 वर्ष निर्धारित है। श्री नवीन चतुर्वेदी को प्रतिनियुक्ति के आधार पर उक्त पद पर कार्य करते हुए लगभग 08 वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी है, जो नियमानुसार निर्धारित अवधि 05 वर्ष से अधिक है। अर्थ एवं संख्या प्रभाग के कार्य प्रभावित होने तथा श्री चतुर्वेदी की नियमानुसार प्रतिनियुक्ति की अवधि पूर्ण होने के दृष्टिगत उन्हें उ0प्र0 भूमि सुधार निगम में बनाये रखने का औचित्य नहीं है। अत: श्री नवीन चतुर्वेदी की उ0प्र0 भूमि सुधार निगम में प्रतिनियुक्ति के आधार पर वरिष्ठ प्रबन्धक के पद पर की गई नियुक्ति को तात्कालिक प्रभाव से समाप्त करते हुए उन्हें उप निदेशक (अर्थ एवं संख्या) के पद पर आगरा मण्डल में तैनात किया जाता है।

संजीव सरन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 10/2018/558(1)/पैतीस-2-2018-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, परती भूमि विकास विभाग, उ0प्र0 शासन/आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 भूमि सुधार निगम, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया श्री नवीन चतुर्वेदी को तत्काल नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
4. निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश की प्रति संबंधित अधिकारी को 03 दिन के भीतर उपलब्ध कराते हुए उसकी पावती शासन को उपलब्ध कराये तथा उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करायें।
6. श्री नवीन चतुर्वेदी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह नवीन तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर अपनी योगदान आख्या शासन को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. परती ग्राम्य विकास विभाग।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देशराज सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।